खबर संक्षेप

नई शिक्षा नीति पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

शहडोल। एमजीएम स्कूल धनपुरी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जो नई शिक्षा नीति (2020) पर आधारित थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के नवांतुक प्राचार्य फादर जोबी पीटर ने की, प्राचार्य ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा की इस कार्यशाला का उद्देश्य नई शिक्षा नीति (2020) के द्वारा शिक्षक स्तर को बेहतर बनाना है, जिससे बच्चो का सर्वगींण विकास हो सके। कार्यक्रम के प्रशिक्षक सौरभ विश्वकर्मा (भोपाल) थे, जिन्होंने शिक्षकों को नई शिक्षा पद्धति से परिचय कराते हुए प्रशिक्षित किया। इस कार्यशाला के प्रायोजक बद्रीनाथ , ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से थे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की उपप्राचार्या श्रीमती जॉर्जिना ग्रेस ने कार्यक्रम में सम्मिलित मुख्य अतिथि, प्रशिक्षक एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया।

कलेक्टर ने लंबित शिकायतो के निराकरण के दिए निर्देश

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतो की समीक्षा की तथा निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जन जातीय कार्य विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग सहित अन्य विभागों में सी एम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतो तथा निराकरण की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरेंद्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुद्रिका सिंह, जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक विपिन पटेल, डीपीसी अमरनाथ सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी वर्चुअली रूप से उपस्थित थे।

गांजा बिक्री करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही

शहडोल। जिले की सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि अमरनाथ कुशवाहा निवासी कोनी अवैध मादक पदार्थ गांजा बिक्री करने के लिए छतवई बिजली ऑफिस के पीछे स्कूटी में खड़ा है। सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये छतवई बिजली ऑफिस के पीछे पहुंचे जहां एक व्यक्ति स्कूटी में बैठा दिखा। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अमरनाथ कुशवाहा पिता बालकरण कुशवाहा उम्र 60 वर्ष निवासी कोनी का होना बताया। पुलिस द्वारा उसकी व स्कूटी की तलाशी लेने पर स्कूटी की डिग्गी में से 01 किलो 230 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जिस पर पुलिस द्वारा उक्त मादक पदार्थ गांजा एवं स्कूटी को जप्त कर आरोपी अमरनाथ के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोहागपुर के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक संतोष कोल, प्रधान आरक्षक मनहरण पाण्डेय, मनोज शुक्ला एवं लक्ष्मी प्रसाद पटेल की भूमिका रही।

जिपं सीईओ ने मालाचुआ सचिव को किया निलंबित

उमरिया । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने छोटेलाल सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मालाचुआ, जनपद पंचायत पाली को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पाली नियत किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन कार्यालय जनपद पंचायत पाली के सभागार में किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मालाचुआ में जल गंगा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री आवास, समग्र सीडिंग का कार्य, सी.एम. हेल्पलाईन में प्रगति न्यून पाई गई। आये दिन जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के द्वारा छोटेलाल सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मालाचुआ, जनपद पंचायत पाली के विरूद्ध पंचायत में न आने, शासकीय कार्य न करने की शिकायत जनपद पंचायत पाली में प्राप्त होती रहती है। छोटेलाल सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मालाचुआ, जनपद पंचायत पाली द्वारा मनमानी, स्वेच्छाचारिता तथा कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई है।

शराब ठेकेदारों की मनमानी खत्म

आबकारी विभाग ने शराब दुकानों पर लगाए क्यूआर कोड

अब ग्राहकों से नहीं होगी अवैध वसूली

आबकारी विभाग ने ग्राहकों तक शराब की सही कीमत की जानकारी पहुंचाने के लिए ठेकों पर क्यूआर कोड लगा दिए हैं। मदिरा को अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायतों के बाद राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक शहडोल में देशी-विदेशी शराब की सभी दुकानों पर क्यूआर कोड चस्पा कर दिए गए हैं।

हरिभूमि न्यूज, शहडोल।

देशी और विदेशी शराब को अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत के बाद अब आबकारी विभाग ने जिले की सभी शराब दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए है। प्रत्येक दुकान पर तीन स्थानों पर स्पष्ट क्यूआर कोड चस्पा किए है। उपभोक्ता अब इन को स्कैन कर किसी भी शराब ब्रांड के न्यूनतम विक्रय मूल्य (एमएसपी) और अधिकतम विक्रय मूल्य (एमआरपी) की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे।

अनुचित मूल्य वसूली पर लगेगी रोक

जिले की शराब दुकानों से अधिक मूल्य पर शराब बेचने की ढेरों शिकायते जिला प्रशासन और सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच रही थी। आबकारी अधिकारी सतीष कश्यप ने इस पर अंकुश लगाने के लिए जिले की सभी दुकानों पर क्यूआर कोड लगाए है। इससे अनुचित मूल्य वसूली पर रोक लगेगी और सभी ब्रांड की शराब के मूल्य की जानकारी उपभोक्त को मिल सकेगी। वहीं विक्रेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी। तय मूल्य से अधिक या कम पर शराब बेची जाती है, तो आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

महंगी शराब देने पर शिकायत करें लोग

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इससे अनुचित मूल्य वसूली पर रोक लगेगी। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि विक्रेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार एवं सुविधा मिलेगी तथा पूर्ण पारदर्शिता व नियंत्रण रहेगा। जनता से कहा गया है यदि किसी दुकान पर तय मूल्यों से कम या अधिक मूल्य पर मदिरा बेची जाती है, तो आबकारी विभाग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सके।

जनता को अधिकारों की जानकारी जरूरी

आबकारी अधिकारी श्री कश्यप ने कहा कि शराब दुकानों पर उपलब्ध क्यूआर कोड अवश्य स्कैन करें और अपने अधिकारों की जानकारी रखें। यह पहल जनता के हितों की रक्षा और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। श्री कश्यप ने कहा कि यदि कोई महंगी शराब बेच रहा है तो तुरंत सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करें।

कैसे करेगा क्यूआर कोड काम

जिले की हर शराब दुकान पर अब एक यूनिक क्यूआर कोड लगाया गया है,ग्राहक अपने मोबाइल के कैमरा या क्यूआर स्कैनर ऐप से कोड स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद एक वेबसाइट/लिंक खुलेगा, जिसमें ब्रांड वाइज निर्धारित मूल्य सूची प्रदर्शित होगी, ग्राहक तुरंत जांच सकते हैं कि वह जिस ब्रांड की शराब खरीद रहे हैं, उसकी एमआरपी क्या है, अगर दुकानदार अधिक पैसा मांगता है, तो ग्राहक सीधे शिकायत कर सकेंगे।

दुकानदारों को चेतावनी, विभाग रहेगा सतर्क

जिला आबकारी सतीश कश्यप ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार क्यूआर कोड के बावजूद ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना, लाइसेंस रद्दीकरण जैसे कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं। आबकारी विभाग ने आमजन से अपील की है कि हर बार शराब खरीदते समय क्यूआर कोड अवश्य स्कैन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता की जानकारी तत्काल विभाग को दें।

वर्षाकाल के पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के आयुक्त ने दिए निर्देश

शहडोल।

वर्षाकाल के पूर्व वे सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं, जिससे आम जनजीवन प्रभावी नहीं हो। आयुक्त श्रीमती सुरभि गुप्ता ने संभाग के तीनों जिलों में वर्षाकाल के पूर्व की तैयारियों के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों एवं नालों की सफाई कराने, बाढ़ वाले क्षेत्र के स्थानों को चिन्हित करके बाढ़ की स्थिति में वहां के निवासियों को सुरक्षित स्थान में पहुचाने हेतु राहत केन्द्र स्थापित करने ऐसे पुल, पुलिया, रपटे, जलाशय जो मरम्मत योग्य हैं उनकी मरम्मत कराने, ऐसे नदी नालों, की पहचान करने जहां उन पर बनाए गए रपटों, पुल, पुलियों में वर्षा काल में पानी ऊपर से बहने लगता है। उन स्थानों में संकेतक स्टापर तथा ड्रापगेट आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिन क्षेत्रों में वर्षाकाल में मिट्टी का कटाव होता है अथवा जिन बस्तियों में पानी के भराव की आशंका हो को चिन्हित कर पूर्व से ही पानी निकासी की व्यवस्था कर ली जाए। उचित मूल्य की दुकानों में तीन माह के लिए खाद्यान्न का भण्डारण तथा पालतु पशुओं के लिए चारे आदि की व्यवस्था भी कर ली जाए।

बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक सुश्री सविता सोहाने, कलेक्टर शहडोल डॉ. केदार सिंह, कलेक्टर उमरिया धरणेंद्र जैन, कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली, पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव, श्रीमती निवेदिता नायडु, मोती उर-रहमान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया अभय सिंह, अनूपपुर तन्मय वशिष्ट, उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग, तीनों जिलों के सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, लोक अभियोजन अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुक्त शहडोल संभाग ने वर्षाकाल के दौरान जिला एवं तहसील स्तरों पर कंट्रोल रूम की स्थापना करने वहां, 24 घंटे के लिए शिफ्टवार डिय्यूटी लगाने, वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्था एंव सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए। वर्षाकाल में होने वाले संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु आगनवाड़ी केन्द्रों एवं एएनएम के पास आवश्यक दवाओं का भण्डारण कराने, पूर्व वर्षों में जिन स्थानों में संक्रामक बीमारियों के फैलने की रिपोर्ट है वहां पहले से ही आवश्यक व्यवस्था करने जिला स्तर पर बाढ़ आपदा प्रबंधन टीम को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। वर्षाकाल में ज्यादातर बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग से फैलती हैं इसके लिए पेयजल स्त्रोतों कुओं, नलजल योजना, तथा अन्य पेयजल स्त्रोतों में दवा का छिडक़ाव कराने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टरों द्वारा बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई।

विश्व योग दिवस के मद्देनजर किया जा रहा योगाभ्यास

शहडोल।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को पूरे विश्व में वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर योग दिवस मनाया जाएगा। जिला आयुष अधिकारी डॉ. शशि प्रभा पांडे ने बताया कि जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम की इस बार वृहद रूप रेखा बनाई जा रही है, जो कि जिला प्रशासन के सहयोग से गांधी स्टेडियम में आयोजित होगा।

आयुष विभाग द्वारा पूर्व से ही विभिन्न स्थानों पर योग के लिए जन जागरुकता के उद्देश्य से योग शिविर लगाए जा रहे है। इस कार्यक्रम को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने योग संगम का नाम दिया है, जिसमें इस बार लक्ष्य एक लाख शासकीय, गैर शासकीय संस्थाओं को योग संगम पोर्टल पर पंजीयत होकर संस्था के समस्त कर्मियों सहित सामूहिक योग कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करना है। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग की जिला अंतर्गत अन्य संस्थाओं (आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) बंधवाबड़ा, झिरिया, केशवाही, बुढार, गोहपारू, जयसिंहनगर, बराछ, ब्यौहारी, खैरा) में भी इसी प्रकार आयोजन की तैयारी में घर-घर गाँव-गाँव में जागरूकता कार्यक्रम किये जा रहे है।

समय पर इलाज न मिलने से महिला की मौत

उमरिया।

जिले के नौरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जहरीले सर्प के काटने से 42 वर्षीय महिला की मौत हो गई। खबर है महिला को सर्प ने काटा तो उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौरोजाबाद लाया गया, लेकिन वहां जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था, समय पर इलाज न मिलने के कारण महिला ने दम तोड़ दिया। घटना ने स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। केंद्र में न तो ज़रूरी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और न ही इमरजेंसी स्थिति से निपटने की समुचित तैयारी। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है और वे स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

इस दुखद घटना के बाद अंजुमन इस्लाह दारैन कमेटी ने एक सराहनीय पहल करते हुए आगे कदम बढ़ाया है। कमेटी ने नागरिकों के साथ मिलकर तहसील कार्यालय पहुंच कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने नौरोजाबाद स्वास्थ्य केंद्र की गंभीर खामियों को दूर करने, ज़रूरी दवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त-दुरुस्त होतीं, तो आज एक जान बचाई जा सकती थी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस घटना से सबक लेकर ज़मीनी सुधार करता है या नहीं।

ग्राम पंचायत गोयरा सचिव निलंबित

उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने विजय सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत गोयरा, जनपद पंचायत पाली को म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पाली नियत किया गया है। इन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन कार्यालय जनपद पंचायत पाली के सभागार में किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत गोयरा में जल गंगा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री आवास, समग्र सीडिंग का कार्य, प्रगति न्यून पाई गई। आये दिन जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के द्वारा विजय सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत गोयरा, जनपद पंचायत पाली के विरूद्ध पंचायत में न आने, शासकीय कार्य न करने की शिकायत जनपद पंचायत पाली में प्राप्त होती रहती है।

संगठन सृजन के तहत कांग्रेस पर्यविक्षकों द्वारा शुरू हुई रायशुमारी

हरिभूमि न्यूज, शहडोल।

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े एवं राहुल गांधी की उपस्थिति में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सम्मेलन में लिए गए निर्णय के तहत मध्यप्रदेश मे संगठन सृजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है जिला कांग्रेस कमेटी को सशक्त बनाना और संगठन को प्रभावी ढंग से पुनर्गठित करना।

इसी के तहत एआईसीसी से नियुक्त पर्यवेक्षक विवेक बंसल, एवं एमपीसीसी से नियुक्त पर्यवेक्षक राजमणि पटेल, नारायण पट्टा, श्रीमति कल्पना वर्मा को जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआईसीसी से नियुक्त पर्यवेक्षक विवेक बंसल ने कहा कि कार्यकर्ता की सक्रियता, संगठन में सामंजस्य और लोकप्रियता ही प्रमुख कसौटी होगी। श्री बंसल ने यह भी बताया कि पहली बार जिले में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस संगठन में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएंगी, जिससे संगठनात्मक अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़े साथ ही कांग्रेस संगठन को आमजन का संगठन बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिला अध्यक्ष के बाद जल्द ही ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर की कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत बुधवार को शहडोल एवं गुरुवार को गोहपारू, जयसिंह नगर, ब्यौहारी व शुक्रवार को जैतपुर एवं बुढ़ार मे रायशुमारी की गई। रायसुमारी मे पर्यवेक्षकों के साथ जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, प्रदेश सचिव अजय अवस्थी एवं मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला उपस्थित रहे।

महाविद्यालय में अर्थशास्त्र का पेपर हुआ लीक

शहडोल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अमन त्रिपाठी ने परीक्षा नियंत्रक अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर बताया कि शासकीय महाविद्यालय गोहपारू में 11 जून को होने वाला पेपर जो कि अर्थशास्त्र प्रथम पेपर था तथा उसकी जगह पर अर्थशास्त्र द्वितीय पेपर छात्रों को बांट दिया गया, जो कि 13 जून को होना था। जिससे अर्थशास्त्र द्वितीय पेपर छात्रों ने पढ़ लिया है। तथा वह अपने निर्धारित समय के पहले ही खोल दिया गया, जिससे पेपर आउट हो गया है। परंतु महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा इस विषय को दबाया जा रहा है। जिससे प्राचार्य पर कोई कार्यवाही न हो सके क्योंकि महाविद्यालय में केंद्राध्यक्ष खुद महाविद्यालय प्राचार्य है। श्री त्रिपाठी ने परीक्षा नियंत्रक से मांग की है कि उक्त मामले की जांच कर अर्थशास्त्र द्वितीय पेपर को निरस्त कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए।

खबर संक्षेप

दहेज की मांग व धमकी पर थाना कोतमा में मामला दर्ज

हरिभूमि न्यूज कोतमा। थाना अंतर्गत पैरीचुहा में रहने वाली महिला को ससुराल में पति मो सफीक, सास सहित अन्य परिजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर आए दिन प्रताड़ित करने व मारपीट कर धमकी को लेकर थाना कोतमा में मामला दर्ज कराया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद सफीक, सास नसरा एवं देवर के खिलाफ धारा 85,127 (ए) का (3) (5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच की जा रही है। महिला द्वारा शिकायत करते हुए आरोप लगाया गया कि बकरीद त्यौहार के दिन मायके से ससुराल लाते हुए प्रताड़ित किया जाने लगा एवं भूखे प्यासे रखकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। घंटों बंद रहने के बाद सूचना किसी प्रकार अपने मायके में दी जिसके बाद मां व परिजनों के द्वारा घर पहुंच कर बेटी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। महिला का विवाह वर्ष 2020 में हुआ था। शादी के कुछ माह बाद से प्रताड़ना की बात सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य केंद्र में ही दोनों पक्षों के परिजनों के बीच जमकर विवाद भी हुआ था। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए जांच की जा रही है।

नवोदय विद्यालय अमरकंटक की कक्षा 6 में प्रवेश के लिये आवेदन आमंत्रित

हरिभूमि न्यूज अमरकंटक। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक की कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिये निःशुल्क पंजीयन प्रारम्भ हो चुके है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई है। उक्ताशय की जानकारी देते हुए नवोदय विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. एस.के. राय ने बताया कि नवोदय विद्यालय की कक्षा छठवीं में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए लिंक http://cbseitms.rcil.gov.in/nvs के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं।

बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज कोतमा। जिले के थाना कोतमा में दिनांक 25 अप्रैल 2024 को पीड़िता द्वारा आरोपी जाहिद खान निवासी गोविन्दा कालोनी के विरूद्ध बहला फुसलाकर काम करने के लिये बोलकर गलत काम (बलात्कार) करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाना कोतमा में आरोपी जाहिद खान पिता पप्पू खान निवासी गोविन्दा कालोनी अपराध क्रमांक 214/24 धारा 363,366-ए.376 भादवि पाक्सो एक्ट 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट का पंजीबध्द किया गया। उक्त प्रकरण की विवेचना अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोतमा द्वारा की जा रही है। प्रकरण सदर में आरोपी जाहिद खान घटना दिनांक से फरार चल रहा था, जिसकी पता तलाश हेतु अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोतमा द्वारा थाना प्रभारी कोतमा को उक्त आरोपी की पता तलाश कर गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी कोतमा निरीक्षक रत्नाम्बर शुक्ल द्वारा पुलिस टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर एक वर्ष से भी अधिक समय से फरार चल रहे बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट के आरोपी जाहिद खान पिता पप्पू खान निवासी गोविन्दा कोलोनी कोतमा को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बिजुरी के डेयरियों मे मिल रहा मिलावटी दूध

हरिभूमि न्यूज बिजुरी। नगर में संचारित डेयरीयों द्वारा ग्राहकों को मिलावटी दूध दिए जाने की शिकायत देखी जा रही है वही ये डेयरी के संचालको द्वारा ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है, जिससे ग्राहकों में डेयरी संचालको के प्रति काफी असंतोष की भावना भी देखी जा रही है। चोरी और सीना जोड़ी के तर्ज पर एक मिलावटी दूध दिए जाने पर कुछ बोले जाने से डेयरी संचालकों द्वारा ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मिलावटी दूर से जहां एक और लोगों का स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ रहा है वहीं खाद्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से इनके मनोबल काफी बढ़े हुए हैं।

जानबूझकर भूमि का कर दिया नाप कम

पट्टे की भूमि पर पंचायत निर्माण करने पर उतारू

पीड़ित ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

शहडोल। जिले की गोहपारू जनपद की ग्राम पंचायत भदवाही के जिम्मेदारों ने भ्रष्टाचार और अपने कारमानों को लेकर कीर्तिमान रच दिया है, आए दिन इस पंचायत में भ्रष्टाचार के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि भ्रष्टाचार की कलई खुलने के बाद भी जिले में बैठे जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सरपंच और सचिव यहां जो चाहते हैं अपने मन की करते रहते हैं, निर्माण में होने वाले जुगाड़ के फेर में अब पट्टे की आराजी को निशाना बनाया जा रहा है, पंचायत के निर्माण में शासकीय शिक्षक अब हाथ आजमाने में लगे हुए हैं।

यह है मामला

कन्हैयालाल शुक्ला पिता वंशगोपाल शुक्ला ग्राम बेला ने कलेक्टर को शिकायत देते हुए बताया कि ग्राम बेला में खसरा नंबर 11 रकवा 0.286 हेक्टेयर भूमि है, उसके सीमांकन के लिए तहसील न्यायालय गोहपारू में सीमांकन शुल्क जमा कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, तहसील न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन मनमाने रूप से किया गया है एवं नक्शे के अनुसार रकवा बिना मिला किये मनमाने रूप से सीमांकन कार्य कर दिया गया।

भूमि हो गई कम

शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को दी गई शिकायत में बताया कि पटवारी एवं कानूनगो द्वारा सीमांकन किया गया है, ग्राम पंचायत के सरपंच, स्थानीय मास्टर राम निवास जायसवाल व तहसीलदार के द्वारा जानबूझकर भूमि कम करके नाप की गई है, जिसका न तो नक्शे का मिलान किया गया है और जबरजस्ती ग्राम पंचायत के माध्यम से रात में जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई करा दिया। पट्टे की भूमि को स्कूल के बाऊण्ड्री के अंदर करने के फिराक में है।

न हो पट्टे की भूमि में निर्माण

फरियादी कन्हैयालाल शुक्ला ने स्थानीय मास्टर रामनिवास जायसवाल ग्राम पंचायत के सरपंच एवं तहसीलदार स्वयं संलिप्त है, जिस कारण मेरे उक्त आराजी का न्यायपूर्ण ढंग से जब तक सीमांकन न हो जाये, उक्त वर्णित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो। रामनिवास शासकीय मास्टर के द्वारा दो-तीन बार मेरे घर पर गुण्डों को लेकर मारपीटर करने व जान से मार डालने के इरादे से गया था, हम लोग किसी तरह अपनी जान बचाये है, राम निवास सरपंच एवं सचिव के साथ मिलकर ठेकेदारी करता है। शासकीय नौकरी में होते हुए ठेकेदारी में संलिप्त है।

पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

पीड़ित कन्हैयालाल शुक्ला ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए मांग की है कि उक्त शिकायत में वर्णित भूमि में हो रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाया जाये उक्त भूमि का दोबारा सीमांकन कराये जाये, साथ ही अगर पीड़ित व उसके परिवार के साथ किसी भी प्रकार की अप्रिय वारदात होती है तो, उसकी संपूर्ण जवाबदेही राम निवास एवं उसके सहयोगियों की होगी।

गायों के संरक्षण के लिए सभी जन अभियान चलाएः विधायक

भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायो के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न

उमरिया। गायो को संरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया है। गायो में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते है। किसानी के साथ साथ पशु पालन भी जरूरी है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और किसान तरक्की के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगे। किसानों की जिंदगी में खशहाली लाना प्रदश सरकार का संकल्प है। उक्त आशय के विचार बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह ने पशु चिकित्सा विभाग में मूल गौवंशीय एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायो हेतु आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नगरों में घूम रही गायो की सेवा का सभी जन बीड़ा उठाए। उन्होने अपील करते हुए कहा कि यदि नगर में कहीं गाय इधर उधर घूम रही है तो उसके संरक्षण का संकल्प लें। यदि संभव हो उसे गौशाला में भेज दें जहां गाय के खान पान तथा उसके रहने के लिए सरकार व्दारा उत्तम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पशु चलित चिकित्सा वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जो कॉल करने पर घटना स्थल या आपके घर पहुंचती और पशुओं का समुचित इलाज करती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आशुतोष अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार व्दारा प्रारंभ की गई यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मददगार साबित हो रही है। गौमाता अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी मानी गई है। गायों का संरक्षण करना हम सबकी महती जिम्मेदारी है। गाय सामाजिक, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गायो के संरक्षण के लिए गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, जहां पर गायो के रहने के लिए उत्तम खान पान के साथ गौ की सेवा के लिए कर्मचारियों की तैनातगी की गई है। कार्यक्रम में उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डा के के पांडेय ने बताया कि मूल गौवंशीय एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायो के चयन के लिए कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से 10 आवेदनों का चयन जिला स्तरीय कमेटी व्दारा किया गया और पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय में प्रतिदिन मिल्किंग की गई और तीन पशु पालक जिनके गाय ज्यादा दूध देती है, का चयन किया गया है, और उन्हें प्रथम, व्दितीय, तृतीय स्थान पर चयनित करते हुए कृषकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शंभू लाल खट्टर, कमल सिंह, नरेन्द्र देव बगडिया, राजा तिवारी, विनय मिश्रा, सुमित गौतम, दिव्य प्रकाश गौतम, हरि गुप्ता सहित पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षणार्थियों ने सीखे सेलफोन मरम्मत सेवा के गुण

उमरिया। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, उमरिया में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिला पंचायत उमरिया के अंतर्गत 30 दिवसीय सेलफोन मरम्मत सेवा आवासीय प्रशिक्षण में 30 पुरूष प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। अग्रणी बैंक प्रबंधक सेवकराम सोनवानी, ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए सभी को सतत रूप से कार्य करने के लिए कहा एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक निशांत वाजपेयी ने भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए अपनी शुभकामनायें दी। इसके बाद डीपीएम एनआरएलएम चंद्रभान सिंह ने भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुये आगे सतत रूप से पूरे लगन व ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर फोकस करने एवं मोबाइल रिपेयरिंग क्षेत्र में सफल करियर बनाने हेतु अपनी शुभकामनायें दी। निर्देशक डा. तरूण कुमार सिंह ने सभी प्रषिक्षणार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुये कहा आपने जो यह 30 दिवसीय सेलफोन मरम्मत सेवा आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है एवं प्रशिक्षण के दौरान जो भी गुण सीखा है, उसे यहां से जाने के बाद आप को खूब अभ्यास व मेहनत करना है जिससे आप को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और इस क्षेत्र में एक सफल करियरे बना सकें। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि आज के समय में मोबाईल फोन हमारे जीवन का एक अनिवार्य एवं उपयोगी साधन बन गया है जिसके बिना बहुत सारे काम नहीं हो पायेंगे तो आप लोग पूरे लगन के साथ काम करिये राजबहादुर जायसवाल ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करते हुये अपनी शुभकामनायें दी। प्रशिक्षक जीतेन्द्र पटेल ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं प्रदान करते हुये आगे सतत रूप पूरी मेहनत करने का कहा। अंत में सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर आरसेटी निर्देशक डा. तरूण कुमार सिंह, (अग्रणी बैंक प्रबंधक) सेवकराम सोनवानी, (भारतीय स्टेट बैंक मुख्य प्रबंधक) निषांत वाजयेपी, (आजीविका जिला परियोजना प्रबंधक) श्री चंद्रभान सिंह मरावी, कृष्ण कुमार शुक्ला (पत्रकार), राजबहादुर जायसवाल (संकाय सद्स्य) एवं सेलफोन मरम्मत सेवा प्रषिक्षण, प्रशिक्षक जीतेन्द्र पटेल की उपस्थिती में किया गया। अंत में निर्देशक द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया।

ग्राम पठारी, बरही एवं करकेली में जागरूकता शिविर संपन्न

उमरिया। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में ग्राम पठारी, बरही एवं करकेली में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव, मोहन डावर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमरिया, श्रम अधिकारी उमाशंकर त्रिपाठी, ग्राम पंचायत सचिव, पैरालीगल वॉलेंटियर संतोष तिवारी, ऋषभ त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे।शिविर का उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और बाल श्रम को समाप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालना है, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बचपन को बचाया जा सके। नालसा द्वारा संचालित योजनाओं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के बारे में जानकारी दी गई।

विमान हादसा में मौत पर नगर पालिका पसान ने दी श्रद्धांजलि

हरिभूमि न्यूजबदरा/जमुना। अहमदाबाद से ब्रिटेन जा रही एक यात्री विमान के उड़ान भरते ही अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। इस भीषण हादसे में 241 भारतीय नागरिकों की असमय मृत्यु हो गई, जिससे हर कोई स्तब्ध और दुखी है। इस दुखद घटना पर नगर पालिका परिषद पसान में गहरा शोक व्यक्त किया गया। परिषद के अध्यक्ष राम अवध सिंह के नेतृत्व में सभी पार्षदों और कर्मचारियों ने शोकसभा आयोजित की। बैठक की शुरुआत में हादसे में जान गंवाने वाले सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि वे सभी आत्माओं को शांति प्रदान करें। इस शोकसभा में वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद दीपक यादव उपस्थित रहे। परिषद के कर्मचारियों में संतोष पांडे, संजय त्रिपाठी, विकास सिंह, विनय सिंह, उदयराज सिंह, फयाज अहमद एवं अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे। सभी ने इस असमय त्रासदी पर गहरा दुख प्रकट करते हुए दिवंगतों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। नगर पालिका परिषद पसान ने इस घटना को एक राष्ट्रीय आपदा करार देते हुए केंद्र सरकार से हादसे की उच्च स्तरीय जांच और पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा देने की अपील की है।

तीन पशु पालकों को किया गया सम्मानित

उमरिया। पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय में आयोजित मूल गौवंशीय एवं भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायो की प्रतियोगिता में स्थान रखने वाली गायों के प्रतिभागियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक बांधवगढ शिवनारायण सिंह ,आसुतोष अग्रवाल सहित अन्य अतिथियों व्दारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राम गोपाल राठौर निवासी किरनताल की गाय द्वारा प्रतिदिन 14.830 लीटर दूध प्रतिदिन देने पर पहला पुरस्कार 51 हजार रूपये, सरस्वती बैगा ग्राम किरनताल की गाय व्दारा 14.10 लीटर प्रतिदिन देने पर व्दितीय पुरस्कार 21 हजार रूपये तथा रामभजन बैगा ग्राम लदेरा की गाय व्दारा प्रतिदिन 12.26 लीटर दूध प्रतिदिन देने पर 11 हजार रूपये की राशि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डा के के पांडेय, शंभू लाल खट्टर, कमल सिंह, नरेन्द्र देव बगडिया, राजा तिवारी, विनय मिश्रा, सुमित गौतम, दिव्य प्रकाश गौतम , हरि गुप्ता सहित पशु चिकित्सा, विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

कोल कर्मियों के लिए जुलाई से लागू होगा यूनिफार्म ड्रेस कोड

यूनिफार्म खरीदने और सिलवाने के लिए 15 जून तक होगा राशि का भुगतान

हरिभूमि न्यूज़ राजनगर। एसईसीएल, बीसीसीएल, एनसीएल, इसीएल व सीसीएल, समेत कोल इंडिया व उसकी सभी सब्सिडियरी कंपनियों में जुलाई से ड्रेस कोड लागू हो जायेगा। कोल इंडिया के जीएम (एचआर, श्रम शक्ति-औद्योगिक संबंध) गौतम बनर्जी के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार, 30 मई को आयोजित कोल इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी 479वीं बैठक में कर्मचारियों के लिए एक यूनिफार्म ड्रेस कोड योजना को मंजूरी दी थी। जुलाई से पुरुष कर्मचारी गहरे नीले रंग की पैंट और आसमानी रंग की शर्ट पहनेंगे। वहीं महिला कर्मचारियों को हल्के आसमानी रंग का कुर्ता तथा गहरे नीले रंग की सलवार व दुपट्टा या गहरे नीले रंग के बॉर्डर वाली हल्के आसमानी रंग की साड़ी व गहरे नीले रंग का ब्लाउज पहनना होगा। ड्रेस कोड लागू करने का मकसद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के कर्मचारियों के बीच एकरूपता लाना है। साथ ही, इसके माध्यम से कंपनी के 'ब्रांड' को मजबूत करना है। कर्मचारियों को यूनिफार्म खरीदने और सिलवाने के लिए 15 जून तक राशि का भुगतान किया जायेगा, जबकि 14 जुलाई तक खरीद प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसे सभी स्तरों पर प्रभावी तरीके से प्रचारित करने की जिम्मेदारी संबंधित एचआर, इआरपी व वित्त विभागों,को सौंपी गयी है।

ड्रेस खरीदने के लिए मिलेंगे

12,500 रुपयेः कोल कर्मियों को ड्रेस की खरीदारी के लिए 12,500 रुपये का भुगतान किया जायेगा। योजना के तहत कर्मचारियों को साल में तीन पैंट-शर्ट मिलेंगी। साथ ही कोल कर्मियों को, 187.50 रुपये प्रति माह धुलाई भत्ता का भुगतान भी किया जायेगा। कंपनी के नर्सिंग स्टाफ के लिए धुलाई भत्ता 218.75 रुपये प्रति माह होगा। बता दें कि कोल कर्मियों के लिए ड्रेस कोड के तहत कुल वित्तीय खर्च लगभग 275 करोड़ रुपये आयेगा। यह खर्च मई 2025 के मैनपावर 2, 19,951 के आधार पर अनुमानित है।

कोतमा पुलिस ने गुम हुए 7 मोबाइल किया दस्तयाब

हरिभूमि न्यूजकोतमा। थाना प्रभारी कोतमा रत्नाम्बर शुक्ल द्वारा गुम हुए मोबाइल फोनो को दस्तयाब करने हेतु टीम बनाई गई, पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल अनूपपुर की मदद से 07 मोबाइलों को दस्तयाब कर आज दिनांक 13/06/25 को संबंधित मोबाइल फोन के मालिकों को सुपर्द किया गया। मोबाइल मिलने पर संबंधित आवेदकों ने पुलिस की प्रशंसा करते हुए खुशी जाहिर की है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतमा रत्नाम्बर शुक्ल, प्रधान आरक्षक कपिल, आरक्षक शुभम तिवारी, जितेंद्र मंडलोई, राकेश सिंह, साइबर सेल से आरक्षक पंकज मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बस स्टैंड में तिपहिये ऑटो चालकों की मनमानी

अक्सर निर्मित होती जाम की स्थिति

हरिभूमि न्यूजकोतमा। नगर में तिपहिया आटो की भरमार होने के साथ ही इनके बेलगाम दौड़ने से जहां दुर्घटनाएं हो रही हैं वहीं बेतरतीब खड़े किए जाने से सड़कों पर जाम की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। यातायात नियमों को धता बता रहे अधिकतर तिपहियों पर नंबर प्लेट तक नहीं है। यहां तक की बीमा भी नही है। हालात यह है कि इतनी सवारी नहीं होती जितने कि तिपहिये। मारामारी के कारण तिपहिया चालक यातायात नियमों को दरकिनार करने से नहीं चूकते। इसके लिए उन्हे चाहे तिपहिया बीच सड़क पर क्यों न खड़ा करना पड़े।

बस स्टैंड में धमा चौकड़ी

नगर के सबसे व्यस्त यातायात क्षेत्र बस स्टैंड में तिपहिए आटो चालकों की मनमानी दिन प्रतिदिन प्रशासन पर हावी होती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी तिपहिया चालकों के गदर को रोकने में पूरी तरह लाचार नजर आ रहे हैं। नगर के बीचों बीच बस स्टैंड में तिपहिया चालकों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। बस स्टैंड में तिपहिया चालकों की मनमानी के चलते बेतरतीब आटो को खड़ा कर दिया जाता है। जिसके कारण यात्रियों को परेशानी होती है।पैदल महिला तथा छोटे-छोटे बच्चों का तो निकलना ही दूभर हो जाता है। यात्री बसों के आगमन पर बस के गेट के सामने तिपहिया लगाने के कारण यात्रियों को भी अब इनकी गदर से भारी परेशानी होती है। यही हाल मुखर्जी चौक का है जहां कोतमा से निगरानी जाने वाले तिपहिया आटो चालक सड़कों पर ही वाहन को खड़ा कर देते हैं। नगर का चौक हो या आम रास्ता ये तिपहिया आटों चालक अपने वाहन को आड़ा-तिरछा खड़ा कर रास्ते को अवरुद्ध करना अपनी शान समझतें हैं। राहगीरों को रास्ता न देना और या इस बारे मे कुछ भी बोलने वालों के साथ अभद्र व्यवहार करना तिपहिया चालकों का अधिकार बन चुका है।

दो पहिया पर सख्ती

तिपहियों का आतंक किसी से छिपा नहीं है इसके बावजूद आए दिन दो पहिया वाहन चालकों के दस्तावेज एवं हेलमेट चैकिंग के नाम पर सख्ती से पेश आया जाता है वही आतंक मचा रहे तिपहिया वाहन चालकों के आवश्यक दस्तावेज लाइसेंस ओवर लोड आदि तक की जांच न करना चर्चा का विषय बना हुआ है।

ओवरलोड सवारी

तिपहिया आटों वाहनों में चालकों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारी बैठाई जाती है जिसके कारण दुर्घटना भी घटित हो चुकी है। लेकिन यातायात विभाग के द्वारा तिपहिया आटों वाहनों पर कार्यवाही नहीं किये जाने से इनके हौसले बुलंद हैं। बस स्टैंड मुखर्जी चौक विकास नगर टैक्सी स्टैंड में नगर पालिका के द्वारा किराया सूची भी नहीं चश्पा की गई है। जिसके कारण तिपहिया आटों चालक सवारी से मनमानी तरीके से किराया वसूल करते हैं।

दुर्घटना घटित होने पर होती कार्यवाही

जिले में कोई बड़ी सड़क दुर्घटना होने के बाद प्रशासन हरकत में आता है और अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों पर शक्ति दिखाते हुए कार्यवाही करने बात करते हैं। जबकि जिले में आए दिन ऐसे वाहन चालकों के कारण दुर्घटनाएं घटित होती है। तिपहिया वाहन चालकों के द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को वाहन में बैठकर उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यातायात विभाग को अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर शक्ति के साथ कार्यवाही करनी चाहिए।

खबर संक्षेप

जीर्ण-शीर्ण भवनों को डिस्मेंटल करने कलेक्टर ने जारी किए आदेश

अनूपपुर। जिला अन्तर्गत कई निजी भवन अत्यन्त जीर्णशीर्ण एवं जर्जर स्थिति में है, जो वर्षा ऋतु के दौरान कभी भी गिर सकते हैं, जिससे जानमाल की हानि संभावित है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रारंभिक आदेश पारित किया है कि जिले में स्थित ऐसे समस्त जीर्णशीर्ण भवन जिनके भी अधिपत्य में हैं वे उन्हें वर्षा प्रारंभ होने के पूर्व डिस्मेंटल कर उसका मलवा हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने जिले के सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे भवनों को चिन्हांकित कराएं तथा उक्त भवन जिनके अधिपत्य में है, उन्हें विधिवत सूचना देकर उनके डिस्मेंटल की कार्यवाही भवन स्वामियों से कराना सुनिश्चित करें। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 (2) के अंतर्गत उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर 12.51 लाख रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित

अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध सघन कार्यवाही की गई। उप संचालक (खनि प्रशासन) श्रीमती आशालता वैद्य एवं खनिज निरीक्षक श्रीमती ईशा वर्मा के मार्गदर्शन में गठित टीम द्वारा 01 अप्रैल से 12 जून की अवधि में की गई कार्यवाही के अंतर्गत कुल 65 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, दर्ज किए गए प्रकरणों में 12 प्रकरण अवैध उत्खनन, 50 प्रकरण अवैध परिवहन तथा 03 प्रकरण अवैध भण्डारण से संबंधित हैं। सभी प्रकरणों को न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिन पर विधिवत सुनवाई उपरांत कुल 12,51,925 रुपये (बारह लाख इक्यावन हजार नौ सौ पच्चीस रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु सतत निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है। कलेक्टर श्री पंचोली ने निर्देशित किया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे खनिज संपदाओं का संरक्षण किया जा सके।

बस की चपेट में आने से युवक की मौत

कटनी। बस स्टैंड पुलिस चौकी से कुछ दूर सूर्या होटल के समीप बस की टक्कर लगने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसा कारित करने के बाद बस चालक चंपत हो गया। मृतक की पहचान देवेंद्र पटेल निवासी पन्ना मोड़ के रूप में की गई है जो की कपड़ा बेचने का काम करता था। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बस स्टैंड से सवारियाँ भरकर एक बस मैहर-सतना की ओर जा रही थी। सूर्या होटल के समीप बस ने पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। युवक बस के पहिए के नीचे आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली टीआई अजय बहादुर सिंह अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुँचे। पुलिस ने शव को परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है हालांकि हादसे के बाद से बस चालक फरार बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है।

मारपीट कर हत्या कर लाश फेंकने के आरोप

कटनी। माधव नगर थाना के निवार चोकी अंतर्गत एक युवक की हत्या किये जाने की घटना सामने आई है। रेल पुलिस द्वारा लाश को जिला अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

नगर पालिका शिकायतों के बाद भी नहीं जागी, सिर्फ फॉगिंग से नहीं रुकेंगे मच्छर

वार्डों में नालियों की सफाई नहीं, मच्छरों का कहर

इमामबाड़ा क्षेत्र के लोग परेशान

हरिभूमि न्यूज, धनपुरी।

नगर के कई वार्डों में नालियों की सफाई को लेकर नगर पालिका की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। स्थिति यह है कि कुछ इलाकों में नाममात्र की सफाई हो रही है, जबकि अधिकांश स्थानों पर महीनों से नालियों की सफाई नहीं हुई।

इसका नतीजा है – गंदगी, बजबजाती नालियां और तेजी से बढ़ता मच्छरों का प्रकोप।इमामबाड़ा क्षेत्र में हालात सबसे खराबइमामबाड़ा और आसपास के वार्डों में नालियों की स्थिति बेहद खराब है। रहवासी लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन टालमटोल रवैया अपनाए हुए

है। नालियों में जमी गंदगी से मच्छरों का भारी मात्रा में प्रजनन हो रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।सिर्फ फॉगिंग से नहीं रुकेगी समस्यानगर पालिका की ओर से शहर में फॉगिंग मशीन से धुआं छोड़ा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों और स्थानीय नागरिकों की मानें तो जब तक नालियों की सफाई नहीं होगी, तब तक मच्छरों पर काबू पाना नामुमकिन है। फॉगिंग सिर्फ ऊपरी दिखावा है – असल समाधान तो नालियों की नियमित सफाई है।नगरपालिका प्रशासन पर उठ रहे सवालस्थानीय निवासियों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन मच्छरों से फैलती बीमारियों के प्रति गंभीर नहीं है?जनता की मांग – सफाई हो प्राथमिकतारहवासियों ने मांग की है कि नगर पालिका केवल खानापूर्ति न करे, बल्कि शहरभर की नालियों की नियमित और गहन सफाई कर मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाए। तभी नागरिकों को राहत मिल सकेगी और शहर स्वच्छ एवं सुरक्षित रह सकेगा।

सड़क में बह रहा गंदा पानी रहवासियों का जीना मुश्किल

ब्यौहारी

नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 2 के अंतर्गत विद्यानगर प्रभात पैलेस के पीछे सड़क पर गंदा पानी पैलेस का गंदा पानी बह रहा है इसको लेकर स्थानीय लोग परेशान कई बार शिकायत की गई लेकिन शिकायत का निराकरण आज तक नहीं होगा बार्ड के निवासी तिजेश गुप्ता द्वारा दिनांक 29 /11/ 2023 को लिखित शिकायत नगर पालिका में की गई लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई इसके अलावा एक दो बार और शिकायत की गई शिकायतों की सुनवाई न होने पर उनके द्वारा 13 मार्च 2025 को सीएम हेल्पलाइन जिसका शिकायत क्रमांक 30951835 है उसके माध्यम से की गई लेकिन उसका भी आज तक निराकरण नहीं किया गया शिकायतकर्ता का कहना है कि हमारे मोहल्ले के बगल में प्रभात पैलेस

बना हुआ है जहां आए दिन शादी पार्टी और कार्यक्रम होते रहते लेकिन पैलेस संचालक द्वारा अपने निकासी का पानी मुख्य नाली में न जोड़कर इधर सड़क के किनारे बहाया जा रहा है नगर पालिका द्वारा उसके रसूख के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही यदि इसके द्वारा खुदाई करके अपने निकासी का पानी मुख्य नाली में जोड़ दे तो समस्या का समाधान हो सकता है सीएम हेल्पलाइन की शिकायत जांच करने अधिकारी आए थे उल्टा हमको ही धमका कर

चले गए बोला तुम्हारा घर गिरवा देंगे लेकिन पैलेस संचालक को कुछ भी बोला नाहीं हमारे मोहल्ले में नाली का निर्माण कराया गया यदि नगर पालिका हम लोगों की समस्या का समाधान करना चाहती है तो नाली निर्माण करके उसको आगे एक नाला है जोड़ दिया जाए तो जितने घर प्रभावित हो रहे हैं सबको गंदे पानी से मुक्ति मिल जाएगी स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर से शीघ्र नाली निर्माण कराए जाने की मांग की है1

सोहागपुर एरिया में नए महाप्रबंधक की तलाश तेज, उत्पादन से लेकर सुरक्षा तक चुनौती

हरिभूमि न्यूज, धनपुरी।

एसईसीएल की सोहागपुर एरिया में इन दिनों नए महाप्रबंधक की नियुक्ति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। वर्तमान महाप्रबंधक 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में 1 जुलाई से नए मुखिया की ताजपोशी किसके सिर होगी, इसे लेकर कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के बीच कयासों का बाजार गर्म है।सूत्रों की मानें तो कुछ नामों की चर्चा तेजी से हो रही है। माना जा रहा है कि संगठन से ही कोई वरिष्ठ अधिकारी एरिया की कमान संभाल सकते हैं, लेकिन अंदरूनी हालात को देखते हुए यह तय है कि इस बार एक अनुभवी, कड़क प्रशासक और निर्णय लेने में दक्ष अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है।70 लाख टन वार्षिक टारगेट की चुनौती पूर्ण सोहागपुर एरिया को इस वित्त वर्ष में 70 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य मिला है। जानकारों

की मानें तो इसे पूरा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा स्थिति में कई प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। वर्षों से सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है।कोयला,डीजल कीमती पार्टसो चोरी बड़ी समस्याऐ, खदानों की सुरक्षा कमजोरखदानों से कोयला और डीजल चोरी आम बात हो चुकी है। आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई का अभाव साफ झलकता है। कई खदानों की बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, जिससे अराजक तत्वों का प्रवेश आसान हो गया है। खदानों तक पहुंचने वाली सड़कों की हालत खस्ताहाल है और बरसात के मौसम में हालात और भी बदतर हो सकते हैं।श्रमिक परेशान, कॉलोनियों की हालत दयनीयएरिया में कार्यरत श्रमिकों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनियों की साफ-सफाई, पानी, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं। अंडरग्राउंड माइनों के कर्मचारियों को सतह पर कार्य करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ा है।नए मुखिया से हैं बड़ी उम्मीदेंइन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए एरिया में एक तेजतर्रार और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ऐसा नेतृत्व जो न सिर्फ कोयला उत्पादन बढ़ाए, बल्कि चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाए और कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करे।कर्मचारी और श्रमिक संगठनों क्षेत्रीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नए महाप्रबंधक के रूप में ऐसा चेहरा सामने आए जो चुनौती को अवसर में बदल सके और सोहागपुर एरिया को फिर से एसईसीएल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में शामिल कर सके।

अन्तराष्ट्रीय योग दिवस की पाठ शाला, प्रतिदिन एक घण्टा केशरवानी धर्मशाला में योग चालू, योग करोगे तो स्वस्थ रहोगे

ब्योहारी

ब्योहारी में केशरवानी समाज के द्वारा केशरवानी धर्मशाला में अन्तराष्टीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ योग का पाठ शाला प्रारम्भ हो गया है महिला ,पुरूष योग साथ - साथ किया जाता है और सब समाज लोग अकर अपने स्वस्थ होनें का लाभ उठा रहे हैं*योगी टीचर आते कि रूप आयुष बिभाग से ट्रेनर आते हैं जो कि सभी प्रकार के योग सिखाया जाता हैं योग से लाभ के साथ कौन सा योग करने से किस बीमारी में लाभ होगा। ये भी सत्य है कि प्रतिदिन योग करने महिला पुरूष अपने आप को निरोगी बना सकता है लेकिन योग के लिए समय जरूर लोगों निकालना होगा आज जब लोगों के बीच कई तरह के गभ्भीर बीमारियों आती हैं तो उसके इलाज के लिए दूर दूर तक लोगों जाना पड़ता हैं स्वस्थ रहने के लिए योग को दिन चरिया में अवश्य रखे। केशरवानी धर्मशाला में केशरवानी फिटनेश क्लब सही सदस्य के साथ समाज नवयुवक व सीनियर सिटिजन और समस्त समाज के लोग भी योग दिवस के पाठ शाला में योग कर बीमारियों से दूर रहना चाहते जो कि रोज सुबह छैः बजे से सात तक योग सिखाया जाता हैं और योग के लाभ कि पूरी जानकारी दी जाती हैं धीरे - धीरे लोगों में जानकारी होगी तो लोग योग के लिए रूझान बढेगे साथ धीरे - धीरे संख्या योग करने वालो कि भीड़ जुड़ने लगी है जैसा योग सूर्यनमस्कार, लोम अनविंलोंम ब्रजशाशन, कृपाल भारतिय, बाटरप्लाई, दण्ड बैठक, लेटकर सायलिंग, बहुत से योग परीक्षण किया जा हैं भाग दौड़ जिन्दगी स्वस्थ रहने के लिए जो ब्यक्ति योग करेगा वह निरोग रहेगा।

महिला ट्वेंटी 20 प्रीमियर लीग पर आधारित क्रिकेट का आयोजन

हरिभूमि न्यूज कटनी

नगर में पहली बार महिला क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। यह 13 जून से आयोजित होगा। इसके समन्वयक अक्षय असाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक जितने भी आयोजन महिला क्रिकेट में हुए हैं, ये उससे थोड़ी अलग और बेहतरीन होगी। महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) कटनी नगर में पहली बार महिला ट्वेंटी 20 क्रिकेट लीग पर आधारित महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का आयोजन नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तत्वाधान में किया जा रहा हैं 2025 में स्थापित इस WPL इसमें चार शहर-आधारित फ्रैंचाइज़ी टीमें शामिल हैं। जिसमें अरिंदम प्लेयर्स, रॉयल डीवास, MAD-HHAVI'S STRIKERS और CHADHA SUPER QUEENS कटनी में पहली बार महिलाएं मैदान में उतरेंगी और उनका बल्ला बोलेगा। यह सिर्फ़ एक टूर्नामेंट नहीं है. यह नगर सहित पुरे जिले में महिला खेल क्रांति की शुरुआत है।

महिलाएं करेंगी मेजबानी

माना जा रहा हैं की यह आयोजन अबतक का कटनी में सबसे सफल क्रिकेट लीगों में से एक होंगा। इस संबंध में समन्वयक अक्षय असाटी ने जानकारी देते हुए बताया कि WPL 2025 वूमन प्रीमियर लीग सीजन 1 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस बार टूर्नामेंट 13 जून से 14 जून तक खेला जाएगा। सीजन का पहला मैच 13 जून खेला जाएगा। और 14 जून को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। महिलाएं पुरे टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगी, जो शहर में महिलाओं की इंडियन प्रीमियर लीग या डब्ल्यूपीएल का पहला आयोजन होगा। नवनिर्मित स्थल एस स्क्वायर टर्फ, राय कॉलोनी, कटनी (म.प्र.) पर खेले जाएंगे.जितने वाली टीम को पुरुस्कार के रूप में 55,000 रुपए और एक शानदार चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की जाएगी वही उपविजेता टीम को 21000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी इस पुरे आयोजन में महिलाओं का जोश गूंजेगा, यह सिर्फ़ क्रिकेट नहीं यह है नारी शक्ति का पराक्रम। यह उस आवाज़ का पहला शंखनाद है, जो कहती है:"अब मैदान पर सिर्फ़ पुरुष नहीं, महिलाएं भी राज करेंगी।

एसडीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच दल का किया गया गठन

औद्योगिक इकाईयों व फैक्ट्रियों में फायर सुरक्षा प्रबंधों की होगी जांच

हरिभूमि न्यूज कटनी

कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बिना फायर एनओसी की चल रही औद्योगिक इकाईयों और कारखानों के विरूद्ध सख्त कदम उठाते हुए इनकी जांच व निरीक्षण के लिए जांच दल गठित कर दिया है।

कलेक्टर श्री यादव द्वारा जिले के औद्योगिक क्षेत्र लमतरा, बरगवां, अमकुई, कटाये घाट, माधवनगर और अमीरगंज सहित अन्य स्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों और फैक्ट्रियों में तय मानकों के मुताबिक फायर सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह जांच समिति 7 दिन में वस्तुस्थिति का जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपेगी।

जांच समिति का अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटनी को बनाया गया है। जबकि सदस्य के तौर पर जिला व्यापार एवं

उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, लोक निर्माण विभाग, इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकैनिकल के अनुविभागीय अधिकारी सहित मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम की ओर से कटनी क्षेत्र के लिए अधिकृत सहायक यंत्री एवं उपयंत्री तथा नगर पालिक निगम कटनी के फायर ऑफिसर को शामिल किया गया है।

बचाव के रखें उपकरण

कलेक्टर ने लमतरा औद्योगिक इकाई में हाल ही में हुई आगजनी की घटना के बाद जिले भर की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाईयों में आग से बचाव के सभी उपकरणों को चाक-चौबंद रखने की अपेक्षा सभी औद्योगिक इकाईयों के संचालकों और प्रबंधकों से की है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने औद्योगिक इकाईयों में अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने के लिए जांच अधिकारियों की तैनाती की है।

दल का किया गया गठन

लमतरा औद्योगिक क्षेत्र में संचालित दो औद्योगिक इकाइयों में बीते शनिवार को हुई आगजनी की घटना को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए जिले की फैक्ट्रियों और कारखानों में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो और औद्योगिक संस्थानों में पर्याप्त फायर सेफ्टी व्यवस्था की समुचित उपलब्धता की जांच हेतु पांच सदस्यीय दल गठित किया है।

फायर एनओसी (अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जो किसी भवन या परिसर को आग के खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों के आधार पर जारी किया जाता है। जिससे यह पता चलता है कि संबंधित औद्योगिक इकाई या भवन अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है।

सभी औद्योगिक इकाईयों में अग्निशमन प्रणाली यानि फायर फाइटिंग सिस्टम निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। धुएं की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो, स्टेयर केस और रैम्प को हमेशा अवरोध मुक्त रखा जाना चाहिए। इन्हें चौनल गेट या किसी अन्य ढांचे से बंद नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही फैक्ट्री के ओपन एरिया को फाइबर शीट, टीन शेड या अन्य किसी अस्थायी संरचना से ढ़कने के बजाय खुला रखना चाहिए ताकि प्राकृतिक वेंटिलेशन भी बना रहे।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 15 से

कटनी। भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत जनजातीय ग्रामों में निवास करने वाले जनजातीय समुदाय के हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजनाओं के शत-प्रतिशत सेचुरेशन हेतु 15 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर सेचुरेशन कैम्प आयोजित किये जायेंगे। इस अभियान में जनजातीय समुदाय के वंचित लोगों को आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्जवला गैस, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जाति प्रमाण-पत्र आदि सेवाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के जनपद पंचायत कटनी के 12 ग्राम, बडवारा के 31 ग्राम, विजयराघवगढ के 18 ग्राम, बहोरीबंद के 12 ग्राम, ढीमरखेडा के 37 ग्राम तथा रीठी के 89 ग्राम सम्मिलित किये गये है। साथ ही अभियान के सफल संचालन और आम लोगों के बीच जागरूकता हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अमृत हरित अभियान पर कार्यशाला 13 जून को

कटनी। शासन के निर्देशानुसार अमृत हरित महाअभियान के तहत आज 13 जून को प्रातः 08.30 बजे से सायं 05.00 बजे तक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रविन्द्र भवन, भोपाल में किया गया है।कार्यशाला का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। `राज्य स्तरीय कार्यशाला का सीधा प्रसारण निकाय स्तर में नगर पालिक निगम कटनी के मेयर-इन-काउंसिल सभागार में आयोजित किया जाएगा।

खबर संक्षेप

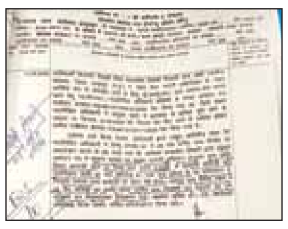

बाबूजी को नहीं मिली रिश्वत तो नहीं बनने दिया सर्टिफिकेट

अनूपपुर। केंद्र एवं राज्य सरकार छात्र छात्राओं के लिए चाहे जितनी सुविधाएं उपलब्ध करा दे लेकिन उसका लाभ मिलते नहीं दिख रहा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बलबूते प्रदेश के लाखों छात्राओं को आरक्षण मिल जाता है अच्छे से पढ़ाई हो जाती थी लेकिन ईडब्ल्यूएस कार्ड से नफरत करने वाले लोग शासकीय कार्यालय में पदस्थ हैं वह नहीं चाहते कि सामान्य वर्ग के छात्र छात्राएं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ लेकर अच्छे संस्थानों में पढ़ाई कर अपने परिवार घर समाज का नाम रोशन कर सकें, इसी तरह का एक मामला अनूपपुर जिले के तहसील कोतमा में देखने को मिला है प्राप्त जानकारी के मुताबिक सत्र 2024-25 में माह नवम्बर आवेदक प्रमोद तिवारी/ शिवांशी तिवारी द्वारा कोतमा तहसील में **EWS** प्रमाणपत्र बनाने हेतू आवेदन किया गया जिसमें लगने वाले समस्त दस्तावेज संलग्न किए गए जो लोकसेवा केंद्र कोतमा में आवेदन जमा किया गया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर निरीक्षण कर अपना पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिस आधार पात्रता हासिल होने पर तहसील कोतमा के तहसीलदार ईश्वर प्रधान द्वारा 19/11/2024 को **EWS** जारी किया जो **EWS** केवल एक सत्र के लिए ही मान्य होता है जिस कारण से आवेदक प्रमोद तिवारी/शिवांशी द्वारा पुनः नवीन सत्र में माह मई - 2025 में समस्त दस्तावेज संलग्न कर **EWS** प्रमाणपत्र हेतु आवेदन लोक सेवा में जमा किया गया जिस पर पटवारी द्वारा पुनः मौके निरीक्षण कर पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, तहसील कोतमा के तहसीलदार द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को अपात्र बताते हुए 02.06.2025 को निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय की तहसील कार्यालय कोतमा में बैठे बाबू साहब 5000 रुपए की मांग कर रहे थे जब इनके द्वारा नहीं दिया गया तो बड़े साहब तहसीलदार के पास फाइल प्रस्तुत कर आवेदन निरस्त कर दिया गया अगर यह फाइल गलत थी तहसीलदार ईश्वर प्रधान ने विगत वर्ष इस बेटी शिवांशी तिवारी को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिए जांच का विषय है, आवेदक शिवांशी तिवारी जिले की जिम्मेदार अधिकारियों से पूछना चाहती है कि जब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2024 में इन्हीं तहसीलदार के द्वारा बनाया गया था अब 2025 में ऐसी कौन सी संपदा मेरे घर आ गई कि मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से बाहर कर दिया गया है। उक्त प्रकरण पर तहसीलदार के प्रमाणीकरण पत्र के आधार पर आवेदक को 5 एकड़ से अधिक होना बता कर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया जबकि आवेदक प्रमोद तिवारी के पास ग्राम लोढ़ी में एक भी भूमि उनके खाते में नहीं है जो भी भूमि स्वामी है उनकी माता सावित्री देवी है सावित्री देवी का कहना है कि यह हमारी पुश्तैनी जमीन नहीं है यह हमारी खरीदी हुई जमीन है सब हमसे अलग रह रहे है हम किसी प्रकार से बटवारा नहीं करेंगे न करना चाहेंगे। उक्त प्रकरण पर पुनः प्रथम अपील आवेदन करते हुए अपर कलेक्टर अनूपपुर को पुनः आवेदन प्रेषित किया गया जिस पर 11/06/2025 को अपर कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी करते हुए यह बताया गया कि भू स्वामी सावित्री पति रामनिवास है जिससे समस्त आय आवेदक को प्राप्त नहीं होता है,अपर कलेक्टर दिलीप पांडेय द्वारा तहसीलदार कोतमा को आदेशित करते हुए कहा गया कि उक्त प्रकरण कोतमा तहसील के तहसीलदार ईश्वर प्रधान के तानाशाही रवैया पर बार-बार आवेदक को परेशान किया जा रहा है उन्हें यह कहा जा रहा है कि आप अपना आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें **ews** फ़ाइल पर टीप लगा कर जबकि आवेदन में सभी दस्तावेज संलग्न है एवं आवेदक और उनके परिजन को बार-बार कार्यालय में बुलाकर अनावश्यक रूप से तरह -तरह के नियम बताए जा रहे और समय गंवाया जा रहा। तहसीलदार के इस तानाशाही रवैया से आवेदक की पुत्री शिवांशी द्वारा यह कहा जा रहा है कि पूर्व में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी कर उन्हें आवेदन किया गया तो हम पात्र थे अब तहसीलदार अधिक भूमि होना बता कर करके निरस्त किया जा रहा है जबकि मेरे पिता जी के नाम पर गाँव मे एक भी जमीन नही है हमारा परिवार आज 15 से 20 वर्षों से अलग रह रहा है एवं तहसीलदार द्वारा वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की जा रही है।

नियम कानूनों को रद्दी की टोकरी में डाल मनमानी पर उतारू नगर पालिका

कागजों में कर दिया खेला, आम जनता व उच्च कार्यालय को दिया धोखा

बिना अधिकार नपा ने बदल दिया प्राक्कलन, सच्चाई छिपाने का भरपूर प्रयास

हरिभूमि न्यूज, अनूपपुर।

जिला मुख्यालय के नगर पालिका अनूपपुर के वार्ड क्रं 07 निवासी नौशाद खान ने नगर पालिका अनूपपुर द्वारा छल पूर्वक एवं नियम विरूद्व तरीके से मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण एवं कार्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण कार्य करवाया जाकर शासन एवं आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने पर अपराध दर्ज करवाये जाने संबंधी शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल के पुलिस महानिदेशक को दी है।

यह है मामला

शिकायत देते हुये नौशाद खान ने बताया कि नगर पालिका द्वारा आदेशों में उल्लेखित नियमों के विरूद्व जाकर एवं भूमि का प्रयोजन बिना किसी सक्षम स्वीकृति के व कागजों में छलपूर्वक व मनमाना प्रस्ताव उद्धृत कर निविदा प्रकाशन करवाये जाने के बाद बिना शासन के पूर्व स्वीकृति के दोनो कार्यो के इस्टीमेट में बदलाव कर करवाया जा रहा है। नपा को वार्ड क्रंमाक 01 मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण एवं वार्ड 02 पार्क के पास नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि 15000000 प्राप्त हुई जिस पर नपा द्वारा उक्त राशि को सामुदायिक उपयोग (उद्यान) हेतु आरक्षित होकर प्रयोजन में रहने वाली आराजी खसरा नम्बर 292/1/2 रकवा 0.6070 हे. में कार्य प्रारंम्भ करने हेतु निविदा का प्रकाशन 01.04.2021 को किया गया। नपा को वार्ड 02 पार्क के पास नवीन कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान किया गया था, जिसे नपा द्वारा पूर्व से सामुदायिक उपयोग (उद्यान) हेतु प्रयोजन में रहने वाली भूमि पर मनमाने रूप से पार्क के अंदर नवीन कार्यालय का निर्माण कार्य छल पर्वूक करवाया जा रहा है, नगर पालिका परिषद अनूपपुर को कोई अधिकार विधि के तहत नही है कि जो भूमि जिस प्रयोजन हेतु आरक्षित है उसका प्रयोजन आज तक कलेक्टर अनूपपुर द्वारा नही बदला गया, न ही प्रयोजन बदलने हेतु परिषद में कोई प्रस्ताव उद्धृत किया गया, इस तरह बिना सक्षम अनुमति के उक्त पार्क भूमि के प्रयोजन को बदल कर एंव इस भूमि के अंश भाग को गैर कानूनी तौर पर नगर पालिका परिषद अनूपपुर नवीन कार्यालय के उपयोग में लिया जाकर अपने उक्त भ्रष्टाचार एंव छल को छिपाने हेतु विभिन्न प्रस्ताव/संक्लप में यह उद्धृत कर रखा गया है कि-नवीन कार्यालय का भवन पार्क के अतिरिक्त भूमि पर बनाया जा रहा है।

सच्चाई छिपाने की भरसक कोशिश

जिस भूमि में नवीन कार्यालय का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है उस भूमि का स्वामित्व मध्यप्रदेश राजपत्र में आज तक घोषित कर प्रकाशन नपा अनूपपुर के पक्ष में नही हुआ है, जिससे नगर पालिका परिषद अनूपपुर उक्त भूमि उनके स्वामित्व की भूमि नही है, उक्त भूमि अन्य प्रयोजन हेतु पूर्व से आवंटित भूमि है, जिसका प्रयोजन बदलने की अधिकारिता निकाय को कतई नही है। इस तरह वर्णित शर्तो का पालन न होने की जानकारी भलि भांति होते हुये छल पूर्वक उक्त निमार्ण कार्य को करवाया जा रहा है। नपा अनूपपुर आदेशों के विरूद्व जाकर असल सच्चाई को छिपाकर जल्दी में यह निर्माण कार्य करवाकर शासन एंव आम जनता के राशि का खुला दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार करते आ रही है जो इन्ही के कार्यवाही अभिलेख से अपराध प्रथम दृष्टया प्रतीत है।

बिना अधिकार नपा ने बदल दिया प्राक्कलन

नपा द्वारा उक्त दोनों निर्माण कार्य का पहले इस्टीमेट अलग-अलग बनाया गया जिसके आधार पर शासन स्तर से संदर्भित आदेश के माध्यम से इन्हे 15000000 राशि प्राप्त हुई, जिसके बाद इन्होने एक साथ दोनों कार्यो के निविदा का प्रकाशन कर निविदा स्वीकृत किया गया तथा निर्माण कार्य चालू करने के आदेश वर्ष 2021 में जारी करने के उपरांत दोनो निमार्ण कार्यो की लागत के संबंध में पुनः मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमति ज्योति सिंह षड़यंत्र रचते हुये मुक्तिधाम के सौंदयीकरण एंव कार्यालय भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्धारित राशियों में विचार एंव निर्णय लिये जाने हेतु परिषद की बैठक 17.02.2022 को आहुत कर मुक्तिधाम के निर्माण कार्यो की राशि 75.00 लाख को परिवर्तित कर उक्त मुक्तिधाम के सौंदयीकरण की परिवर्तित राशि का उपयोग नवीन कार्यालय भवन निर्माण में समयोजन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जब पूर्व में इन दोनों कार्यो की इस्टीमेट बनाया गया था तब सभी बातो को ध्यान में रख कर बनाया गया था, जिसमे खर्च होने वाली राशि 75.00-75.00 लाख निर्धारित था, जिसके आधार पर निविदा बुलाई जाकर कार्यादेश दिये जाने के बाद इन निर्माण कार्यो की राशि में परिवर्तन करने व प्राक्कलन बदलने का कोई अधिकार नपा को न होते हुये किया गया।

जिम्मेदारों ने कर दिया खेला

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (तृतीत चरण) अंर्तगत नगरीय निकायों को दी जा रही स्वीकृति शर्तो के अध्याधीन रहेगी, जिसके सरल क्रंमाक 14 में वर्णित है कि योजना में स्वीकृत किये गये कार्यो को संचालनालय की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तित नहीं किया जावेगा तो निर्माण कार्य कें चालू हो जाने के लगभग 06 माह बाद कार्यो का बदलाव करना पूर्णतः अवैधानिक होकर गैर कानूनी प्रमाणित है। इसी तरह उक्त दोनों कार्यो की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति कार्यवाही विवरण संकल्प पत्र में तो दी गई है, किन्तु मूल नस्ती में नही दी गई है, मूल नस्ती एक वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्यवाही प्रचलन का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण करवाये एंव किये बिना ही किया जा रहा है जो पूर्णत नगर पालिका अधिनियम 1961 के प्रावधान का उल्लंघन है। नवीन कार्यालय के भवन निर्माण कार्य हेतु भेजे गये पूर्व प्रस्ताव में पार्क के पास का लेख किया गया और जब शासन स्तर से नवीन कार्यालय के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृती व राशि पार्क के पास की प्राप्त हो गई तब ये पार्क हेतु आंवटित भूमि में ही उक्त निमार्ण कार्य का संचालन करवाने का निर्देश जारी कर दिया गया, इस तरह पार्क नगर पालिका अनूपपुर एंव ठेकेदार ने मिल के उक्त कार्य को अंजाम देने हेतु कदम कदम पर कॉगजो में खेल-खेल कर भ्रष्टाचार किया गया एंव शासन के साथ छल व धोखाधड़ी किया जाकर आम जनता के पैसों को गैर कानूनी रूप से खर्च कर रही है। शिकायतकर्ता ने तथ्यों की जॉच करवाया जाकर सभी दोषियो के विरूद्व अपराध पंजीबद्ध करवाये जाने की मांग की है।

जिले में 1320 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना को प्रभावित किसानों और ग्रामीणों की स्वीकृति

यह परियोजना लेकर आ रही उम्मीद, रोजगार और प्रगति की रोशनी

अनूपपुर। जिले के ग्राम रक्शा एवं कोलमी में प्रस्तावित 1320 मेगावाट की न्यू जोन प्राइवेट लिमिटेड ताप विद्युत परियोजना को लेकर जिले में ऐतिहासिक मोड़ आया, जब त्रिस्तरीय संयुक्त बैठक में ग्रामीणों, प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों के बीच समन्वय और सहमति का एक दुर्लभ उदाहरण देखने को मिला। बैठक का आयोजन ग्राम रक्शा एवं कोलमी की 476.788 हेक्टेयर निजी भूमि पर प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा के तहत किया गया। इसमें अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, एसडीएम कमलेश पुरी, नायब तहसीलदार चक्रवर्ती, और न्यू जोन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सुधाकर पांडेय व सुशील कांत मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में प्रभावित किसान, सरपंचगण और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विकास और विश्वास की नींव पर संवादअपर कलेक्टर पांडेय ने स्पष्ट कहा कि यह परियोजना अनूपपुर के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगी, लेकिन इस विकास में ग्रामीणों के हक़ और हित सर्वोपरि रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति पारदर्शी है और प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि हर पात्र हितग्राही को न्याय मिले। एसडीएम

कमलेश पुरी ने बैठक को साझा संवाद का माध्यम बताते हुए सभी पक्षों से सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने ग्रामीणों की हर मांग को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्यवाही का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों की मांगें और जनभागीदारीबैठक में ग्राम पंचायत रक्शा के सरपंच सहित अमोल सिंह, चक्रधर मिश्रा, आदित्य राठौर, प्रीतम सिंह, अशोक मिश्रा, देवघर मिश्रा, कैलाश साहू एवं अन्य प्रभावित किसानों ने कंपनी से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि भूमि देने वाले प्रत्येक परिवार को उनकी योग्यता के अनुसार निश्चित समय-सीमा में रोजगार मिले और मुआवजा राशि जमीन के अनुपात में पारदर्शी तरीके से दी जाए।कोलमी पंचायत के नरेंद्र राठौर बालेश्वर, रामस्वरूप उपाध्याय, लालमणि सहित गांव के प्रभावित किसानों सहित सरपंच कोलमी ने प्रस्ताव दिया कि मुआवजा राशि का वितरण ग्राम सभा के माध्यम से पारदर्शिता के साथ हो, जिससे ग्राम समुदाय की सहभागिता भी सुनिश्चित हो सके।ग्रामीणों की प्रमुख मांगों में **CSR** फंड का प्राथमिक उपयोग रक्शा-कोलमी के समग्र विकास हेतु,4 लाख की एकमुश्त सहायता राशि पूर्व में दी गई राशि का समायोजन करते हुए एवं 1 लाख की किश्तों में भुगतान (50,000 × 2) का भुगतान इस प्रकार कम्पनी द्वारा कुल पांच लाख रुपए निर्धारित समय सीमा में कराया जाए परियोजना प्रारंभ होने पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार देना, 191 खातेदारों प्रभावित हैं उनमें सह खाते दार सहित 350 पात्र जनों को नौकरी की गारंटी शामिल रही। न्यू जोन कंपनी की प्रतिबद्धता सुशील कांत मिश्रा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मिश्रा ने आश्वस्त किया कि ग्रामीणों की हर मांग कंपनी की प्राथमिकता है। मुआवजा वितरण में कोई विलंब न हो इसके लिए उन्होंने आवश्यक दस्तावेज शीघ्र जमा करने की अपील की।वहीं सुधाकर पांडेय ने स्पष्ट कहा, “यह परियोजना सिर्फ पावर प्लांट नहीं, बल्कि अनूपपुर का भविष्य है। यह जिला प्रदेश ही नहीं, देश भर में पहचान बनाएगा।

‘सीमा रेखा’ दिखाकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे जिम्मेदार अफसर

रेत माफिया लूटता रहा, वन विभाग नक्शा निहारता रहा!

हरिभूमि न्यूज, बदरा/जमुना।

जिले का कोतमा वन परिक्षेत्र एक गूंगा गवाह बनता जा रहा है। जहां जंगल लुट रहा है और जिम्मेदार अफसर ‘सीमा रेखा’ दिखाकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। चोड़ी घाट और कुदरा इलाका, जहां से दिनदहाड़े ट्रैक्टरों में भर-भरकर रेत ले जाई जा रही है, अब किसी रहस्यमयी जगह की तरह नहीं, बल्कि सरकारी संरक्षण में खुले ‘खदान बाजार’ की शक्ल ले चुका है। सबसे चिंताजनक और शर्मनाक पहलू यह है कि इस अवैध खनन की जानकारी रेंजर हरीश तिवारी को चार से पांच महीने पहले से थी, फिर भी उन्होंने न कोई कार्रवाई की और न ही किसी संबंधित विभाग जैसे एसडीएम, खनिज अधिकारी या पुलिस को इसकी सूचना दी। यह न सिर्फ विभागीय नियमों की अवहेलना है, बल्कि खुद अपराध में भागीदारी के बराबर है। कानून कहता है कि अगर कोई गतिविधि किसी अन्य विभाग की सीमा में भी हो, लेकिन उससे पर्यावरण, वन्य जीव या नदियों पर असर पड़ रहा हो तो वन विभाग का यह प्रथम दायित्व बनता है कि वह संबंधित अधिकारियों को सूचित करे। लेकिन यहां, जब खुद विभाग मानता है कि उन्हें खनन की जानकारी थी, फिर भी सूचना न देना यह दर्शाता है कि यह चुप्पी संयोग नहीं, सांठगांठ थी।

‘दायित्व का त्याग’ नहीं, बल्कि ‘कर्तव्य का अपमान’

जब रेंजर से पूछा गया कि वह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो उनका जवाब था “जहां खनन हो रहा है, वह क्षेत्र हमारे फॉरेस्ट एरिया में नहीं आता।” लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीमांकन नहीं हुआ था, फिर किस अधिकार से यह निर्णय लिया गया कि वह विभागीय सीमा में नहीं आता? क्या रेंजर के पास कोई सटीक नक्शा था? क्या विभाग ने कभी वहां जाकर सीमांकन करवाया? नहीं। तो फिर यह कहना कि “वह हमारी ज़मीन नहीं है”, दरअसल एक ‘सुरक्षा कवच’ है जिसे अफसर खुद को बचाने के लिए ओढ़ लेते हैं। DFO ने जब यह स्वीकार किया कि रेंजर को खनन की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी, तो यह बयान खुद

DFO की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या DFO को चार महीने से यह बात मालूम थी? अगर नहीं, तो यह उनकी विफलता है, और अगर थी तो जानकारी होते हुए भी कार्रवाई न करना ‘दायित्व का त्याग’ नहीं, बल्कि ‘कर्तव्य का अपमान’ है।

कट रहा नदी का किनारा

रेत खनन के कारण अब नदियों के किनारे कटने लगे हैं, जलस्तर गिर रहा है, खेतों की उर्वरकता घट रही है। जानवरों के प्राकृतिक रहवास उजड़ रहे हैं, और आसपास के गांवों की हरियाली अब धूल में बदल रही है। यह सब कोई प्राकृतिक घटना नहीं है यह एक ‘प्रशासनिक अपराध’ है, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी या तो आंखें मूंदे बैठे हैं, या फिर बंद दरवाजों के पीछे किसी और भाषा में सुन-समझ रहे हैं। जिन जगहों पर खनन हो रहा है, वे जंगल से बिल्कुल सटे हुए हैं। वहां की मिट्टी, वनस्पति और जैव विविधता एक असली वन क्षेत्र जैसी ही है। ऐसे में अगर अधिकारी सिर्फ नक्शा दिखाकर अपने हाथ खींच लें, तो सवाल उठता है क्या विभाग अब जंगल की हिफाजत के लिए नहीं, सिर्फ फाइलों की हेराफेरी के लिए रह गया है? कोतमा रेंज की हालत यह है कि एक व्यक्ति के नाम पर आठ-आठ ट्रैक्टर चल रहे हैं, कोई रोक नहीं, कोई जब्ती नहीं। गांववालों की आंखों के सामने जंगल की छाती फाड़ी जा रही है, और रेंजर साहब नक्शा देखकर कहते हैं “यह मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है।” क्या अब जंगल की सुरक्षा भी Google Maps की सीमाओं पर टिकी है? सवाल यह नहीं कि रेत कहां से निकाली जा रही है। सवाल यह है कि अगर अफसर को मालूम था कि अपराध हो रहा है, और उसने संबंधित विभागों को सूचना नहीं दी, तो क्या वह उस अपराध का हिस्सा नहीं है? विभाग का काम नक्शा दिखाना नहीं, जंगल बचाना है। और अगर वह भी नहीं कर पा रहे, तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, एक मौन समर्थन है जो अपराध से भी बड़ा अपराध है। जनता जानना चाहती है कि एक जिम्मेदार अधिकारी, जिसे अपने क्षेत्र में हर हलचल की खबर होनी चाहिए, जब महीने दर महीने तक रेत की लूट देखता रहा और किसी को सूचित नहीं किया तो वह किसकी सेवा कर रहा था? जंगल की या माफियाओं की? आज जब ये बात सामने आती है कि जंगल उजड़ते रहे और अफसर जान बूझकर चुप रहे, तो यह चुप्पी सिर्फ प्रशासनिक अपराध नहीं, एक नैतिक पतन है जिसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी।

इनका कहना है

वह भूमि राजस्व की है तो राजस्व के अधिकारी कार्यवाही करेंगे और अगर वह भूमि फॉरेस्ट की है और सीमांकन नहीं हुआ है तो मैं उसे पर तत्काल कार्यवाही करवाता हूं

विपिन कुमार पटेल, डीएफओ
वन विभाग अनूपपुर

राजनगर स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था पर हाईकोर्ट और मंत्री ने लिया संज्ञान

हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

हरिभूमि न्यूज़, राजनगर।

राजनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो लंबे समय से संसाधनों की कमी और डॉक्टरों के अभाव के कारण चर्चा में बना हुआ था। अब जल्द ही पूर्ण रूप से संचालित हो सकेगा। शासन की ओर से उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नत तो कर दिया गया था, लेकिन मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई थीं। बीते एक से दो वर्षों से राजनगर पीएचसी में डॉक्टर, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित अन्य जरूरी मेडिकल स्टाफ की भारी कमी बनी हुई थी। जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थीं। आपात स्थिति में न मलहम पट्टी की व्यवस्था थी, न ही किसी प्रकार की प्राथमिक जांच और इलाज संभव हो पा रहा था। इस समस्या को लेकर लगातार मीडिया रिपोर्टिंग और जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन-प्रशासन को अवगत कराया गया। नगर परिषद राजनगर के अध्यक्ष यशवंत सिंह ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी इस पर गंभीरता दिखाते हुए। अनूपपुर कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब उम्मीद की जा रही है, कि जल्द ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में डॉक्टर सहित आवश्यक स्टाफ की पदस्थापना की

जाएगी, जिससे यहां के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

खबर प्रकाशन के बाद राजनगर के निवासी याचिकाकर्ता विकास प्रताप सिंह द्वारा दायर किया, जनहित याचिका में कहा गया है, कि राजनगर के इस अस्पताल में डॉक्टरों के 15 पद स्वीकृत हैं, लेकिन अब तक एक भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। इस कारण स्थानीय नागरिकों को मामूली इलाज के लिए भी दूर-दराज भटकना पड़ रहा है। हाई कोर्ट की जस्टिस एके सिंह व जस्टिस अमित सेठ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, अनूपपुर कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि जब अस्पताल का शुभारंभ हो चुका है, तो डेढ़ साल बाद भी वहां चिकित्सा सेवाएं शुरू क्यों नहीं हो पाई हैं। याचिका में यह भी बताया गया कि अस्पताल में न तो महिला डॉक्टर हैं और न ही एंटी रेबीज इंजेक्शन, जिससे गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार डिलीवरी नर्सों की मदद से करानी पड़ती है, जो गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा कर सकती है। आवश्यक दवाएं भी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं, और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या भी बहुत कम है।

नगरवासियों में खुशी की लहर

लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहे नगर परिषद राजनगर के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में डॉ. कमलेश अग्रहरिया की वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत पदस्थापना की गई है। डॉ. अग्रहरिया प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। विभाग द्वारा जल्द ही अन्य आवश्यक मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा।

जनप्रतिनिधियों ने दी बधाई

डॉक्टर की नियुक्ति की खबर मिलते ही पूरे नगर में खुशी का माहौल देखने को मिला। नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य केंद्र पहुँचकर डॉ. कमलेश अग्रहरिया का स्वागत किया और शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर पूर्व सांसद प्रतिनिधि प्रेमचंद यादव, नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह, उपाध्यक्ष धनंजय सिंह, मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, पार्षद समय पटेल, पार्षद प्रतिनिधि जितेंद्र पनिका, संतोष जायसवाल, राजकुमार सहित कई समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग एवं शासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक शुरुआत है।